निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0नं0 02 / अपील / 21

उनवान अपील

मजीतन पुत्री शेख अमीन विधवा हबीब खां उम्र 82 वर्ष जाति मुसलमान निवासी सुनेल हाल निवासी 23, पुरूषोत्तम सागर के सामने ईदगाह रोड़ मुम्बा माता मन्दिर के पास, उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश (अपीलान्ट)

बनाम

01. नजीरउद्दीन उर्फ शेख नजीमउद्दीन वल्द वजीनउद्दीन
02. यासीरउद्दीन वल्द वजीनउद्दीन जाति मुसलमान निवासीयान सुनेल जिला झालावाड़
03. सरकार जर्ये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड़ (रेस्पोंडेण्ट्स)

अपील बनाराजगी नामान्तकरण सं0 4428 आदेश नायब तहसीलदार सुनेल दिनांक 05.05.20

मि0नं0 03 / अपील / 21

मजीतन पुत्री शेख अमीन विधवा हबीब खां उम्र 82 वर्ष जाति मुसलमान निवासी सुनेल हाल निवासी 23, पुरूषोत्तम सागर के सामने ईदगाह रोड़ मुम्बा माता मन्दिर के पास, उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश (अपीलान्ट)

बनाम

01.शेख नजमुद्दीन वल्द वजीनउद्दीन
02.शेख यकीनउद्दीन वल्द वजीनउद्दीन जाति मुसलमान निवासीयान सुनेल जिला झालावाड़
03.सरकार जर्ये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड़ (रेस्पोंडेण्ट्स)

अपील बनाराजगी नामान्तकरण सं0 855 आदेश नायब तहसीलदार सुनेल दिनांक 10.06.2020

मि0नं0 04 / अपील / 21

मजीतन पुत्री शेख अमीन विधवा हबीब खां उम्र 82 वर्ष जाति मुसलमान निवासी सुनेल हाल निवासी 23, पुरूषोत्तम सागर के सामने ईदगाह रोड़ मुम्बा माता मन्दिर के पास, उज्जैन जिला उज्जैन मध्यप्रदेश (अपीलान्ट)

बनाम

01.नजीरूद्दीन उर्फ शेख नजीमउद्दीन वल्द वजीनउद्दीन
02.यासीरउद्दीन उर्फ शेख यकीनउद्दीन वल्द वजीनउद्दीन जाति मुसलमान निवासीयान सुनेल जिला झालावाड़
03. सरकार जर्ये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड़ (रेस्पोंडेण्ट्स)

अपील बनाराजगी नामान्तकरण सं0 4429 आदेश नायब तहसीलदार सुनेल दिनांक 05.05.2020

उपस्थितः— श्री फिरोज अहमद अभिभाषक अपीलान्ट
श्री हुकमचन्द कुमावत अभिभाषक रेस्पो0 1 व 2 (उपस्थित नही)

जिला कलक्टर
झालावाड़

-: निर्णय :- दिनांकः 23.11.2021

उपरोक्त तीनों अपीलों के तथ्य लगभग एक समान होने पक्षकारान भी एक ही होने के साथ–साथ योग्य अभिभाषक उभय पक्ष एक ही होने व तीनों प्रकरणो में एक समान बहस की जाने से इन तीनों अपीलों का निर्णय एक साथ ही पारित किया जा रहा है– **मिसल न0 2/अपील/21**:– के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सुनेल की आराजी ख0न0 1303 रकबा 1.1508 हैक्टर,ख0न0 1511 रकबा 0.8852 हैक्टर जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा है उक्त आराजी का नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा दिनांक 05.05.2020 को नामान्तरकरण न0 4428 रेस्पो0 न0 1 के नाम तस्दीक किया गया से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई है।

**मिसल न0 3/अपील/21**:–के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम आकोदिया की आराजी ख0न0 400 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा है उक्त आराजी का नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा दिनांक 10.06.2020 को नामान्तरकरण न0 855 रेस्पो0 न0 1 व 2 के नाम तस्दीक किया गया से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई है।

**मिसल न0 4/अपील/21**:–के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सुनेल की आराजी ख0न0 282,1398,1399 व ख0न0 1400 कुल किता 4 रकबा 2.6557 हैक्टेयर अपीलान्ट का हिस्सा 1/4, ख0न0 281 की 0.2276 हैक्टेयर व ख0न0 283 की 0.6070 हैक्टेयर जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा था उक्त आराजी का नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा दिनांक 05.05.2020 को नामान्तरकरण संख्या 4429 रेस्पो0 न0 1 व 2 के पक्ष में तस्दीक किया गया से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील मीमों में निवेदन किया है कि उक्त आराजी का नामान्तरकरण दूषित प्रकिया के माध्यम से साजिश के तहत लोकडाउन के मध्य अपीलान्ट को नोटिस दिये बगैर सुनवाई का अवसर दिये बगैर व बगैर जांच रेस्पो0 1व 2 के नाम तस्दीक किया गया है जो जेरे अपील आरबीट्रेरी,परवर्स,केप्रेसियेयस व गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दीगर सह खातेदारान को भी नोटिस नही दिया गया व कब्जे बाबत फाईडिंग दिये बगैर दिया गया आदेश अपास्त योग्य है। नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा इस और भी ध्यान नही दिया की अपीलान्ट ने दिनांक 11.01.2020 को एक शिकायती पत्र तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सुनेल को इस आशय का प्रेषित कर सूचित किया गया था कि उसके खातेदारी की भूमियों पर उसकी लेखी,सहमति व संज्ञान के बिना नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जावे उसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि उसके साथ भतीजों ने छल करके उसकी सहमति के बगैर अनुचित तरीके से हक त्याग करवाया है शुन्य व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक नही किया जावे। दिनांक 05.05.2020 को और उसके पूर्व तारीखों में कोविड 19 के कारण सम्पूर्ण भारत व राजस्थान में लॉकडाउन लागू था इस कारण न्यायालय,कार्यालय व अन्य सभी प्रतिष्ठान बन्द थे किन्तु ऐसे समय में नायब तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया आदेश जेर अपील निरस्तीनीय है। अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

प्रकरण सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 1 व 2 की और से अभिभाषक श्री हुकमसिंह कुमावत का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ व उनके ब्रीफ होल्डर श्री अमितोष आचार्य द्वारा दिनांक 06.09.2020 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों की पुष्ठी करते हुए व्यक्त किया कि नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा ग्राम सुनेल की आराजी बाबत दिनांक 05.05.2020 को नामान्तरकरण संख्या 4428 व 4429 तथा ग्राम आकोदिया तहसील सुनेल की आराजी का दिनांक 10.06.2020 को नामान्तरकरण न0 855 तस्दीक कर अपीलान्ट की आराजी को रिलीज डीड के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है उक्त आराजी का नामान्तरकरण दूषित प्रकिया के माध्यम से साजिश के तहत लोकडाउन के मध्य अपीलान्ट को नोटिस दिये बगैर सुनवाई का अवसर दिये बगैर व बगैर जांच रेस्पो0 1व 2 के नाम तस्दीक किया गया है जो जेरे अपील आरबीट्रेरी,परवर्स,केप्रेसियेयस व गैर कानूनी होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दीगर सह खातेदारान को भी नोटिस नही दिया गया व कब्जे बाबत फाईडिंग दिये बगैर दिया गया आदेश अपास्त योग्य है। नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा इस और भी ध्यान नही दिया की अपीलान्ट ने दिनांक 11.01.2020 को एक शिकायती पत्र तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सुनेल को इस आशय का प्रेषित कर सूचित किया गया था कि उसके खातेदारी की भूमियों पर उसकी लेखी,सहमति व संज्ञान के बिना नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जावे उसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि उसके साथ भतीजों ने छल करके उसकी सहमति के बगैर अनुचित तरीके से हक त्याग करवाया है शुन्य व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के नाम तस्दीक नही किया जावे। दिनांक 05.05.2020 को और उसके पूर्व तारीखों में कोविड 19 के कारण सम्पूर्ण भारत व राजस्थान में लॉकडाउन लागू था इस कारण न्यायालय,कार्यालय व अन्य सभी प्रतिष्ठान बन्द थे किन्तु ऐसे समय में नायब तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया आदेश जेर अपील निरस्तीनीय है। अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण निरस्त किया जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 1 व 2 की और से प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्यतः अंकन किया कि नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा ग्राम सुनेल के नामान्तरकरण संख्या 4428,4429 जो दिनांक 05.05.2020 को तथा ग्राम आकोदिया तहसील सुनेल का नामान्तरकरण सख्या 855 जो दिनांक 10.06.2020 को तस्दीक किये गये वह हक त्याग पत्र के आधार पर विधिक प्रकिया पंजीयन अधिनियम की पूर्ण पालना करते हुए तस्दीक किये गये हैं। सहखातेदार मजीतन ने अपने नाम से खातेदारी में दर्ज आराजी का हक त्याग अपने भाई के पुत्रों के नाम स्नेह वश किया है जिसको उप पजींयक द्वारा आवश्यक एवं विधिक जानकारी हक त्याग कर्ता की दी गई एंव उनसे ली गई उसके उपरान्त ही उक्त दस्तावेज पंजीबद्ध किया गया है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलियों का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर गौर किया– प्रस्तुत तीनों अपीलों में अपीलान्टा यह कहकर आयी है कि ग्राम आकोदिया तहसील सुनेल की आराजी ख0न0 400 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा है उक्त आराजी का नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा दिनांक 10.06.

2020 को नामान्तरकरण न0 855 रेस्पो0 न0 1 व 2 के नाम तथा ग्राम सुनेल की आराजी ख0न0 1303 रकबा 1.1508 हैक्टर,ख0न0 1511 रकबा 0.8852 हैक्टर जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा है उक्त आराजी का नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा दिनांक 05.05.2020 को नामान्तरकरण न0 4428 रेस्पो0 न0 1 के नाम तथा ग्राम सुनेल की आराजी ख0न0 282,1398,1399 व ख0न0 1400 कुल किता 4 रकबा 2.6557 हैक्टेयर अपीलान्ट का हिस्सा 1/4, ख0न0 281 की 0.2276 हैक्टेयर व ख0न0 283 की 0.6070 हैक्टेयर जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा था उक्त आराजी का नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा दिनांक 05.05.2020 को नामान्तरकरण संख्या 4429 रेस्पो0 न0 1 व 2 के पक्ष में गलत तस्दीक किये हैं एवं अपीलान्टा को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। प्रकरण के अवलोकन से जाहिर है कि जो नामान्तरकरण नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा तस्दीक किये गये हैं वे रजिस्टर्ड रिलीज डीड जो कार्यालय उप पंजीयक सुनेल में दिनांक 16.12.2019 को करवाई गई थी के आधार पर खोले गये हैं। नामान्तरकरण रजिस्टर्ड रिलीज डीड के आधार पर तस्दीक होना जाहिर है। रिलीज डीड जिसमें अपीलान्टा द्वारा स्वंय के हिस्से की आराजी को अपने भाई के लडकों के पक्ष में तस्दीक करवाई गई है वह अपनी स्वेच्छा से यह आलेखित करते हुए कि ''मेरा उक्त हिस्सा सहखातेदार व मेरे भतीजे के तन्हा खाते दर्ज कर दी जावे जिसमें मुझे कोई आपत्ति नही है। मेरे भतीजे को उक्त आराजी में मेरे उक्त हिस्से का नामान्तकरण अपने पक्ष में कराने का अधिकार होगा। यह परित्याग मैनें सहखातेदार व मेरे भतीजे के पक्ष में स्नेह एवं वात्सल्यवश स्वेच्छा से किया है तथा इसका कोई प्रतिफल प्राप्त नही किया है''। चूंकि रजिस्टर्ड दस्तावेज ''रिलीज डीड'' के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक होना जाहिर है और उक्त दस्तावेज को सिविल न्यायालय द्वारा अवैध व शुन्य भी घोषित नही किया गया है। उपरोक्त विवेचन से अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार पाये जाते हैं। अपील के माध्यम से अपीलान्टा को कोई राहत प्रदान नही की जा सकती। अपील अपीलान्टा खारिज की जाती है। निर्णय की एक–एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों में सलंग्न की जावे तथा प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सुनेल को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़